

क्र. 01/11/21
अज अदालत

Form No-111 प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

फर्द अहकाम (नियम 26) कैम्प ग्राम पंचायत 43 P.S.

उपखण्ड अधिकारी मुकाम रायसिंहनगर

किरग मुकदमा 136 एल आर एक्ट बनाम सरकार नम्बर 256 सन् 2021
जी.सी.एम.एस. आईडी 2021 / 7.81

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी किए
01/11/2021	<p>तहसीलदार भू.अ./ नायब तहसीलदार <u>शमोजा</u> रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ./2021/ 519 दिनांक <u>01/11/21</u> के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>43 P.S.</u> में प्रार्थी के नाम चक <u>43 P.S.</u> की जमाबंदी सम्वत् <u>2073-2076</u> के खाता सं <u>45</u> में <u>जगदीश पुत्र दोना सिंह वरि</u> के स्थान पर <u>जगदीश सिंह पुत्र दोना सिंह</u> की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी है। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार <u>शमोजा</u> रायसिंहनगर की अनुशंषा के आधार पर वाके चक <u>43 P.S.</u> तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्वत् <u>2073-2076</u> के खाता सं <u>45</u> में <u>जगदीश पुत्र</u> <u>दोना सिंह वरि</u> के स्थान पर <u>जगदीश सिंह पुत्र दोना सिंह</u> की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फौसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	

शमोजा
(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
कैम्प 43 P.S.